

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

3

अनुमति वाद संख्या :- 461 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रन्थु पहान

- विक्रेता

हेलेना सुरीन

- क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |           |                 |           |                 |        |     |    |      |      |  |
|------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------|-----|----|------|------|--|
| 05.03.20                     | <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक रन्थु पहान पिता बिरसा पहान ग्राम-सुरुन्दा, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने हेलेना सुरीन पति अमित होरो ग्राम-छोटा पाण्डु, पो0-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="225 741 1362 835"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पाण्डु</td> <td>248</td> <td>49</td> <td>1732</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 031733 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 94 दिनांक 14.02.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0-1546/1468 दिनांक 27.10.15 से क्रय किया गया है। खतियानी रैयत का नाम डीम्बु पहान वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार प्रेम प्रकाश तिडू के नाम भूमि का रकबा 1.00 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 1.00 एकड़ भूमि के अलावे अन्य खाता 27 में रकबा 4.20 एकड़ भूमि कुल रकबा 5.20 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 14248.00(चौदह हजार दो सौ अठाईस)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.10 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रन्थु पहान पिता बिरसा पहान को हेलेना सुरीन पति अमित होरो के साथ ग्राम पाण्डु के खाता सं0 49 खेसरा संख्या 1732 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 14248.00(चौदह हजार दो सौ अठाईस)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>खूँटी।</p> | ग्राम  | थाना नं0  | खाता नं0        | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) | पाण्डु | 248 | 49 | 1732 | 0.10 |  |
| ग्राम                        | थाना नं0  | खाता नं0   | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) |           |                 |        |     |    |      |      |  |
| पाण्डु                       | 248   | 49   | 1732      | 0.10            |           |                 |        |     |    |      |      |  |